# FORM No. STK - 6 PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

#### **GOVERNMENT OF INDIA**

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES, GUJARAT
ROC BHAVAN, OPP. RUPAL PARK, NARANPURA, AHMEDABAD-380 013.

Public Notice No- ROC/STK2/2

## Date: 21.02.2018

#### Reference:

In the matter of striking off of or removal of names of companies under section 248 (2) of the Companies Act, 2013, of in respect of Companies given in table A',

- 1. Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received application from the companies mentioned in Table "A" under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company (ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application within such period for obtaining the status of dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company have obtained the status of dormant company, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.
- 2. Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the companies mentioned in Table "A" from the Register of Companies.
- 3. Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his/her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

Registrar of Companies, Ahmedabad

Copy forwarded to:- The Manager, Government of India Press, for publication in part III, Section 1 of the Gazette of India.

### प्ररूप संख्या एसटीके 6 सार्वजनिक सूचना

(कंपनी अधीनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रिजस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुकरण में)

\*\*\*

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी रजिस्टार का कार्यालय

रूपल पार्क के सामने, अंकूर चार रस्ते के पास, नारणपुरा, अहमदाबाद - 380013.

सार्वजनिक सूचना सं. आरओसी/एसटीके/

दिनांक 21.02.2018

#### संदर्भ

तालिका "ऐ" में निम्नलिखित कंपनियों की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

- (1) इसके द्वारा यह सूचित दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी रिजिस्ट्रार को ऊपर उल्लिखित कंपनियों से कंपनी रिजिस्ट्रर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त किया है कि वे उनकी कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे है या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती 2 वित्तिय वर्षों से कारोबार नहीं कर पायी है और इस अविध के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिती प्राप्त करने का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिती प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कंपनी रिजिस्टार से अपना/अपने नाम हटाने का अन्रोध किया है।
- (2) तद्नुसार कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रर से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपितत है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित कंपनीयों का नाम हटाने का प्रस्ताव करता है।
- (3) यदि किसी व्यक्ति के कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपित्त है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपित्त भेज सकता है।

कंपनी रजिस्ट्रार, अहमदाबाद, गुजरात.

प्रतिलिपी प्रेषितः प्रबंधन, भारत सरकार मुद्रणालय को भारत के राजपत्र भाग 3, खंड-1 मे प्रकाशनार्थ।